संख्या जी/२–५६१/दसे–६१७—६१

प्रेषक

श्री विनोद कुमार दीक्षित,
उप-सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक २४ अगस्त, १९६६ ।

विषय:—पेन्शन योग्य अधिष्ठानों के ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें कान्ट्री व्यूटरी प्राविडेन्ट फंड के लाभ प्राप्त हैं, पेन्शनयोग्य सेवा में आने का विकल्प प्रदान करना ।

महोदय,

त्त (सामान्य–२)
वभाग

मुझे शासनादेश संख्या जी–२–७६९/दस–९१७-६१, दिनांक २४ अगस्त, १९६६ की ओर जिसके द्वारा नई परिवार पेन्शन योजना, १९६५ को लागू किया गया है ध्यान आकृष्ट करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल ने आदेश दिया है कि पेन्शनयोग्य अधिष्ठानों के ऐसे सरकारी कर्मचारियों को, जिन्होंने कन्ट्री व्यूटरी प्राविडेन्ट फंड (उत्तर प्रदेश) रूल्स के नियम २८(१)(क) के अनुसार कन्ट्रीव्यूटरी प्राविडेन्ट फंड के लाभों को बनाए रखा है, ३१ दिसम्बर, १९६६ तक उक्त नई परिवार पेन्शन योजना, १९६५ के लाभ के सहित उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बनिफिट्स रूल्स, १९६१ (सम्पूर्ण रूप में) को चुनने का अवसर प्रदान किया जाय। अब जो विकल्प चुना जायगा वह अन्तिम होगा तथा ऐसे प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के लिये उपलब्ध होगा जो इस पत्र के निर्गत होने के दिनांक को ऐसी हैसियत से सेवा कर रहा हो। इस विकल्प का लाभ उन कर्मचारियों को भी उपलब्ध होगा जो ऐसी हैसियत से १ अप्रैल, १९६५ को सेवा कर रहे थे परन्तु जो इस विकल्प का प्रयोग किये बिना ही १ जनवरी, १९६७ से पूर्व सेवा निवृत्त हो जाएं अथवा जिनकी मृत्यु हो जाए, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी अथवा मृत सरकारी कर्मचारी के उत्तराधिकारी या नामित व्यक्ति, जैसी भी दशा हो, ३१ दिसम्बर १९६६ तक अथवा सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के चार महीने के भीतर जो भी बाद म पड़े, पेन्शन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को लिखित रूप में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें जिसके द्वारा वे इस योजना के विकल्प को–चुने तथा ऐसे सरकारी कर्मचारी की कन्ट्रीव्यूटरी प्रावीडेन्ट फंड में सरकारी अंशदान की सम्पूर्ण धनराशि तथा उसका ब्याज एकमुश्त शीर्षक "४८–पन्शनों तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के हेतु अंशदान तथा वसूलियां–प्रकीर्ण" के अन्तर्गत किसी भी सरकारी कोषागार में मांग की जाने के एक महीने के भीतर जमा करना स्वीकार करें। उक्त विकल्प तभी प्रभावी होगा जब कि ऐसी पूरी धनराशि जमा कर दी गई हो। नई परिवार पेन्शन योजना, १९६५ के लाभों के बिना ही उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, १९६१ (सम्पूर्ण रूप में) को चुनने का अथवा नई परिवार योजना के लाभों सहित अथवा उनके बिना ही उत्तर प्रदश रिटायरमन्ट बेनिफिट्स रूल्स, १९६१ के केवल नियम ११ को चुनने का विकल्प नहीं दिया जायगा।

२—विकल्प की सूचना अपत्रित अधिकारी की दशा में सम्बन्धित अधिकारी द्वारा कार्यालयाध्यक्ष को तथा राजपत्रित अधिकारी की दशा में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को (संलग्न प्रपत्र म) दी जानी चाहिए। अपत्रित अधिकारी का विकल्प सम्बद्ध कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये और उसे संबंधित अधिकारी की सेवा पुस्तिका/पंजी में लगा देना चाहिये। प्रत्येक विकल्प की प्राप्ति संलग्न प्रपत्र में स्वीकार की जायगी। यह सुनिश्चित करना सम्बन्धित अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने विकल्प की प्राप्ति स्वीकृति को महालेखाकार, उत्तर प्रदेश अथवा अपने विभागाध्यक्ष से, जैसी भी दशा हो, प्राप्त करें।

३—जो सरकारी कर्मचारी निर्धारित अवधि के भीतर पैरा २ में उल्लिखित विकल्प का प्रयोग नहीं करेगा अथवा सेवा को छोड़ देगा अथवा जिसका विकल्प अपूर्ण या ठीक-ठीक निर्धारित प्रपत्र के अनुसार नहीं होगा अथवा जिसके सम्बन्ध में पैरा १ में उल्लिखित धनराशि मांग की जाने पर अपेक्षानुसार जमा नहीं की जायगी उसके सम्बन्ध में यह माना जायगा कि उसने यह विकल्प चुना है कि वह पूर्ववत् वर्तमान कन्ट्रीव्यूटरी प्राविडेन्ट फंड के लाभों के अन्तर्गत ही रहना चाहता है।

४—किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में जो नई परिवार पेन्शन योजना, १९६५ के लाभों के साथ उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स (सम्पूर्ण रूप में) से शासित होने का विकल्प चुनता है, कन्ट्रीव्यूटरी प्राविडेन्ट फंड म ब्याज सहित सरकारी अंशदान को उसके नाम जमा धनराशि सरकार द्वारा वापिस ले ली जायगी। उक्त निधि म सरकारी कर्मचारी का अभिदान तथा उसका ब्याज उसके जनरल प्राविडेन्ट फंड लेखे म संक्रमित कर दिया जायगा, जो कि जनरल प्राविडेन्ट फंड (उत्तर प्रदेश रूल्स) के अनुसार खोला जायगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी एसे सरकारी कर्मचारी की दशा में, जिसे ३१ मार्च, १९६७ को उसके पूर्व सेवा निवृत्त होना है, जनरल प्राविडेन्ट फंड में ऐसा संक्रमण आवश्यक न होगा। एसे सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई विगत सेवा आदि से (Ab-initio) पेन्शन योग्य अधिष्ठान म की गई मानी जायगी तथा पन्शन के लिये अर्हकारी सेवा के रूप में उसी रीति से और उसी हद तक गिनी जायगी जिसकी व्यवस्था समय-समय पर लागू सम्बद्ध पेन्शन नियमावली में की गई हो किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उस अवधि के लिये जिसम वह कन्ट्रीव्यूटरी प्राविडन्ट फंड क लिये अभिदान नहीं देता रहा था सेवा निवृत्ति लाभों के बदले में वेतन की स्फीत दरों से वेतन न लिया गया हो ।

५—इस शासनादेश में उल्लिखित आदेश आपके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आने वाले ऐसे समस्त सरकारी कर्मचारियों की जानकारी में लाने की तुरन्त व्यवस्था की जाय जो इनसे प्रभावित होते हों अथवा उनके उत्तराधिकारियों की जानकारी में लाये जाने की व्यवस्था की जाय, जहां ऐसा करना आवश्यक तथा सम्भव हो। इनमें वे कर्मचारी भी सम्मिलित हैं जो छुट्टी पर हों, विदेश सेवा में हों, अथवा प्रतिनियुक्ति पर हों या जो १ अप्रैल, १९६५ के बाद सेवा निवृत्त हुये हों (अर्थात् जिनके लिये यह दिन कार्य दिवस था)। यह वांछनीय होगा कि प्रत्येक व्यक्ति से एक प्राप्ति स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय जिससे कि बाद में कर्मचारी द्वारा यह न कहा जा सके कि उसे इन आदेशों की जानकारी ही नहीं हुई।

भवदीय,
विनोद कुमार दीक्षित,
उप-सचिव।

सं० जी-२—५६१(१)/दस-९१७-६१ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :

(१) सचिवालय के समस्त विभाग तथा
(२) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
शंकर दत्त मिश्र
सहायक सचिव।

इस विकल्प को चुनने का अन्तिम दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६६

प्रपत्र

पेन्शन सम्बन्धी तथा निर्वाह निधि के लाभों के, जैसे कि वे मुझ पर लागू होते हैं, तुलनात्मक लाभों तथा अलाभों को समझ लेने के बाद : (१) मैं वित्त (सामान्य–२) विभाग के शासनादेश संख्या जी–२–७६९/दस–९१७–६१, दिनांक २४ अगस्त, १९६६ द्वारा लागू की गई नई परिवार पेन्शन योजना, १९६५ के लाभ के साथ उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिटस रूल्स (सम्पूर्ण रूप से) के विकल्प को वित्त (सामान्य-२) विभाग के शासनादेश संख्या जी–२–५६१/दस—९१७–६१, दिनांक २४ अगस्त, १९६६ में दी गई शर्तों और प्रतिबन्धों पर चुनता हूं।

(२) मैं वर्तमान कन्ट्रीब्यूटरी प्रावीडेन्ट फंड के लाभों को बनाये रखने का विकल्प चुनता हूं।

साक्षी — *हस्ताक्षर

पूरा नाम — पूरा नाम

पद नाम — पदनाम

कार्यालय — कार्यालय

दिनांक

*जो व्यक्ति अंग्रेजी अथवा हिन्दी में अपना नाम न लिख सकते हों उनके बायें अंगूठे का निशान लगाया जाय।

टिप्पणी— (१) चुने गये विकल्प के अनुसार मद (१) या (२) को काट दिया जाय।

(२) यदि कोई सरकारी कर्मचारी उपयुक्त विकल्प ३१ दिसम्बर, १९६६ तक न चुने तो यह माना जायेगा कि उसने वर्तमान कन्ट्रीब्यूटरी प्रावीडेन्ट फंड के लाभों को बनाये रखने का विकल्प चुना है।

प्रमाण पत्र

यह केवल निम्न श्रेणी के कर्मचारियों (inferior servants) तथा निरक्षर कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रयोज्य होगा तथा इस पर अधिष्ठान का कार्य करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे।

यह नियमावली श्री .....को मेरे समक्ष समझा दी गई थी।

हस्ताक्षर

नाम

पद नाम

प्राप्ति की स्वीकृति

संख्या — दिनांक

श्री ..... पदनाम

कार्यालय — से एक विकल्प

दिनांक — निम्नलिखित के लिये प्राप्त हुआ।

(१) नई परिवार पेन्शन योजना, १९६५ के साथ पेन्शन सम्बन्धी लाभों के पक्ष में

(२) वर्तमान कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट फंड के पक्ष में

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पद नाम

कार्यालय

टिप्पणी:--चुने गये विकल्प के अनुसार मद (१) अथवा (२) को काट दिया जाय।

पी० एस० यू० पी०--ए० पी०--११४ जनरल (फाइनेन्स)—१९६७–७,००० ।